FO, Dean (Academics) - for NA
23/07/19
369
23/07/19

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
आरएंडडी-II अनुभाग R&D-II Section

छ. शि. म. मार्ग C S MMarg,
मुंबई Mumbai- 400 001

सं. No. 1001/2/2019/फेलोशिप Fellowship/आरएंडडी R&D-II/9094 जुलाई July 22, 2019

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : विभिन्न आरएंडडी यूनिटों/सहायता प्राप्त संस्थानों/बीआरएनएस/ एनबीएचएम में कार्य कर रहे विभिन्न अनुसंधान फेलो को मिलने वाले फेलोशिप में संशोधन।

Sub **Revision of Fellowships admissible to various Research Fellows working in different R&D Units/Aided Institutions/BRNS/NBHM.**

*****

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 24.03.2015 के विभाग के का. ज्ञा. सं. 10/1(21)/2014/ फेलोशिप/आरएंडडी-II/3943 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें अनंतिम पीएच. डी. सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों और ऐसे स्कॉलर जिन्होंने पीएच.डी शीसिस प्रस्तुत की है और जिन्हें अभी अनंतिम या अन्य रूप से पीएच. डी. डिग्री प्राप्त होनी है, उनके लिए "ब्रिजिंग फेलोशिप" योजना हेतु फेलोशिप की दरों को सूचित किया गया है।

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 10/1(21)/2014/Fellowship/R&D-II/3943 dated 24.03.2015 intimating the rates of fellowships for the scheme "Bridging fellowship" for the candidates with a provisional Ph.D Certificate and the Scholars who have submitted Ph.D thesis and are yet to receive their Ph.D degree provisional or otherwise

2. फेलोशिप की दरों में संशोधन हेतु विभाग द्वारा गठित समिति ने ऐसे विद्यार्थियों जिन्होंने थीसिस प्रस्तुत की है और अनुसंधान एसोसिएटशिप अथवा केएसकेआरए के लिए चयनित हुए हैं और थीसिस के मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, के लिए ब्रिजिंग फेलोशिप के भुगतान में संशोधन करने की सिफारिश की है।

The Committee constituted by the Department for revision of rates of fellowships has recommended revision in payment of Bridging fellowship to those students who have submitted the thesis and selected for the position of Research Associateship or KSKRA awaiting evaluation of the thesis.

3. विभाग में समिति की सिफारिश की जांच की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पीएच.डी. प्रस्तुत कर चुके स्कॉलर और थीसिस के मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहे स्कॉलर को ऐसी कोई फेलोशिप प्रदान नहीं करता है।

The recommendation of the Committee has been examined in the Department. The Department of Science & Technology does not grant any such fellowship to the Scholars who have submitted Ph.D thesis and are awaiting evaluation of thesis.

RECEIVED
Signature Sandeepa Sahoo
Date 23/07/2019 16:22 PM

4. विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने विस्तार से जांच करने के बाद ब्रिजिंग फेलोशिप को समाप्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि, अनंतिम/सामान्य पीएच. डी. वाले व्यक्ति को रिसर्च एसोसिएट के बराबर माना जाएगा और वे दिनांक 07.03.2019 के पऊवि का. ज्ञा. सं. 10/1(21)/2014/फेलोशिप/आरएंडडी-II/3071 में दर्शायी गई दरों के अनुसार फेलोशिप के लिए पात्र होंगे।

After detailed examination the Competent Authority in the Department has decided to discontinue the Bridging fellowship. However, a person with Provisional/Regular Ph.D will be treated at par with Research Associates and will be eligible for fellowship as per the rates indicated in DAE O.M.No. 10/1(21)/2014/Fellowship/R&D-II/3071 dated 07.03.2019.

5. ऐसे स्कॉलर जो पीएच. डी. थीसिस प्रस्तुत कर चुके हैं पर उन्हे पीएच. डी. डिग्री (अनंतिम या अन्य किसी रूप में) प्राप्त होनी शेष हैं और उन्हें रिसर्च एसोसिएट के रूप में पहले से ही नियुक्त किया जा चुका है और वे "ब्रिजिंग फेलोशिप" प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें वरिष्ठ रिसर्च फेलो के समान माना जाएगा। ये स्कॉलर दिनांक 07.03.2019 के पऊवि का. ज्ञा. सं. 10/1(21)/2014/फेलोशिप/आरएंडडी-II/3071 में दर्शायी गई दरों के अनुसार फेलोशिप के लिए पात्र होंगे।

Scholars who have submitted Ph.D thesis but are yet to receive their Ph.D degree (provisional or otherwise) and already appointed as Research Associates and receiving 'Bridging Fellowship' will be treated on par with Sr. Research Fellows. These scholars will be eligible for fellowship as per the rates indicated in DAE O.M.No.10/1(21)/2014/ Fellowship/R&D-II/3071 dated 07.03.2019

6. उपर्युक्त दरें दिनांक **1 जनवरी 2019** से लागू होंगी।
The above rates are applicable **w.e.f. 1st January, 2019.**

7. इसे सक्षम प्राधिकारी, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority, DAE.

22/7/19

(भारती एस.पै Bharati S. Pai)
अवर सचिव (आरएंडडी-II) Under Secretary (R&D-II)
022 2286 2532

1. पऊवि की संघटक इकाइयों/स्वायत्त संस्थानों के सभी प्रमुख
   All the Heads of Units/Heads of Autonomous Institutions under DAE.
2. आरएंडडी यूनिट के आईएफए/जेसी(एफएंडए)/सीएओ और पऊवि के अधीन स्वायत्त संस्थानों में रजिस्ट्रार/सीएओ एवं वित्त प्रभारी
   IFAs/JC(F&As)CAOs in R&D Units and Registrars/CAOs & Finance in-Charge in Autonomous Institutions under DAE.
3. मुख्य लेखा नियंत्रक, पऊवि Chief Controller of Accounts, DAE.
4. पऊवि के सभी अधिकारीगण/अनुभाग All Officers/Sections in DAE
5. सहायक कार्मिक अधिकारी, सचिव का कार्यालय, पऊवि
   APO, Office of Secretary, DAE.
6. अध्यक्ष, बीआरएनएस Chairman, BRNS.
7. अध्यक्ष, एनबीएचएम Chairman, NBHM